सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)
1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक,
दिल्ली-110006, दूरभाषः 011-23832226

मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना

(सरफ़ेसी अधिनियम 2002 के तहत)

परिशिष्ट - IV - A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भैतिक/सांकेतिक कब्जा **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के बकाये की वसूली हेतु उसकी बिक्री **21.04.2021 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **www.centralbankofindia.co.in** अथवा **https://ibapi.in** में प्रावधानित लिंक देखें।

21.04.2021 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (15 दिवसीय सूचना)

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम MSTC पोर्टल में सम्पत्ति आईडी	माँग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रू. लाख में)	कब्जे. की तिथि एवं प्रकार	रू. लाख में आरक्षित मूल्य / ईएमडी / संविदा वृद्धि
1.	भगीरथ पैलेस नई दिल्ली	श्री आशुतोष कुमार मोबाइलः 9999463960	सरिता शर्मा	फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट सं.1, फ्लैट सं.1-बी, निजी फ्लैट सं.एफ-5, पहला तल बिना छत/टैरेस अधिकार के, ओम नगर, गली नं.5, निकट जी.टी रोड एवं मोहन नगर, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, उ0प्र0. क्षेत्र 55.74 वर्ग मीटर. **(मालिकः सुनील शर्मा) (सम्पत्ति आईडीः CBIN0287001)**	02.04.2018 रू.22.11 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	20.09.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 13.50 लाख ₹ 1.35 लाख ₹ 0.15 लाख
2.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री संतोष अग्रवाल मोबाइलः 8800013511	नाज़ इंडिया	फ्लैट पहला तल, बिना छत अधिकार के, प्लॉट सं.बी-24, खसरा नं.1310, हयात एन्कलेव गाँव लोनी तहसील, जिला गाज़ियाबाद, उ0प्र0। क्षेत्र 154 वर्ग मीटर। **(मालिकः जुबेर खान) (सम्पत्ति आईडीः CBINDAR001)**	25.09.2018 रू.93.02 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	07.01.2020 (भौतिक कब्जा)	₹ 26.00 लाख ₹ 2.60 लाख ₹ 0.30 लाख
3.	गाज़ियाबाद	श्री गौरव त्यागी मोबाइलः 9999467102	मैसर्स साई उद्योग	फ्लैट नं. केएम-14, यूजीएफ-2, एमआईजी, कवि नगर, गाज़ियाबाद, उ0प्र0। क्षेत्र 92.90 वर्ग मीटर **(मालिकः श्रीमती अर्चना शर्मा) (सम्पत्ति आईडीः CBIN0257017)**	02.06.2018 रू.2,39,87,616/- + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	22.07.2019 (प्रतीकात्मक कब्जा)	₹ 45.00 लाख ₹ 4.50 लाख ₹ 0.45 लाख
4.	वसुन्धरा गाज़ियाबाद	अनिल कुमार/ सुश्री शिखा प्रकाश मोबाइलः 9873303102	पुष्पेन्दर कुमार	दूसरी मंजिल फ्लैट, एसएफ-4, 4 मंजिला भवन, प्लॉट सं.बी-5/1, डीएलएफ अंकुर विहार, निकट शिव वाटिका मंदिर, लोनी, गाज़ियाबाद, क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर **(मालिकः पुष्पेन्दर कुमार) (सम्पत्ति आईडीः CBIN4972028)**	09.07.2018 रू.14.09 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	28.10.2020 (भौतिक कब्जा)	₹ 10.20 लाख ₹ 1.02 लाख ₹ 0.15 लाख
5.	करोलबाग नई दिल्ली	श्री एस.के. पाण्डेय मोबाइलः 9999917126	राजपाल जैन	पहला तल, आवासीय फ्लैट सम्पत्ति सं.1/6110 के बायीं ओर, स्टिल्ट पार्किंग सहित, गली नं.1, पूर्वी रोहताश नगर, ग्राम-सिकदरपुर, शाहदरा, दिल्ली-32, क्षेत्रफल 735 वर्ग फीट **(मालिकः रेखा जैन) (सम्पत्ति आईडीः CBIN0307001)**	29.10.2018 रू.13.21 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	12.04.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 36.25 लाख ₹ 3.63 लाख ₹ 0.40 लाख
6.	करोलबाग नई दिल्ली	श्री एस.के. पाण्डेय मोबाइलः 9999917126	सत ज्वैलर्स	सम्पत्ति सं.2525 तथा 2526, वार्ड सं. XVI, ब्लॉक एम, दुकान नं. 4 एवं 5, गली नं.6 एवं 7, बीडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली। क्षेत्रफल 309.59 वर्ग फीट **(मालिकः रमेश चन्द्र जैन एवं अक्षय जैन) (सम्पत्ति आईडीः CBIN0309024)**	05.09.2017 रू.78.83 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	26.03.2018 (भौतिक कब्जा)	₹ 72.00 लाख ₹ 7.20 लाख ₹ 0.75 लाख
7.	कश्मीरी गेट दिल्ली	श्री गौरव कुमार मोबाइलः 8800013544	राम प्रसाद शर्मा	ऊपरी भूतल, सम्पत्ति सं.68, ब्लॉक-ए, नन्द राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059. क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट **(मालिकः राम प्रसाद शर्मा) (सम्पत्ति आईडीः CBIN032)**	30.09.2019 रू.12.39 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	10.12.2020 (भौतिक कब्जा)	₹ 14.25 लाख ₹ 1.43 लाख ₹ 0.15 लाख
8.	साहिबाबाद गाज़ियाबाद	श्री छत्रपाल सिंह/ श्री मुकेश मीणा मोबाइलः 8800013541	अयान गारमेंट्स	प्लॉट/ खसरा नं.295, साढ़े तीन मंजिला भवन, सावित्री एन्कलेव, मंगल बाजार रोड, ग्राम पावी सदकपुर, परगना लोनी, जिला गाज़ियाबाद, उ0प्र0, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज। **(मालिकः श्रीमती हसीना बेगम) (सम्पत्ति आई डीः CBIN4023002**	01.10.2019 रू.48.81 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	21.12.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 21.60 लाख ₹ 2.16 लाख ₹ 0.25 लाख

ई-नीलामी की तिथिः 21.04.2021, समयः 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सायं तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित।

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समयः 20.04.2021 को 04:00 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइटः https://www.mstcecommerce.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ अन्तरण के माध्यम से ईएमडी ग्लोबल ईएमडी वालेट में जमा की जानी है (https://www.mstcecommerce.com से चालान के सृजन के बाद)। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता "https://www.mstcecommerce.com" के माध्यम से संचालित की जायेगी। ई-नीलामी **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर आयोजित की जायेगी। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइटः www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म {https://mstcecommerce.com} में प्रावधानित लिंक देखें। हेल्पलाइन नं.: 033-22901004.

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत उप वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांकः 02.04.2021
स्थानः दिल्ली

श्री एम. के. गुप्ता, मोबाः 7428536228, प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षे. का. (उत्तर), चाँदनी चौक, दिल्ली

पूर्ण नियम एवं शर्तेः

(1) अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री **21.04.2021 (12:00 बजे अप. से 4:00 बजे सायं)** को वेबसाईटः **https://www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म के द्वारा की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता/क्रेताओं से अनुरोध है कि अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी का उपयोग करते हुए पोर्टल (**https://www.mstcauction.com**) पर पंजीकरण करायें। पुनः उनसे आग्रह है कि केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करें। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों की एक बार जाँच कर लेने के बाद (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकता है) इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को नीलामी के समय से पूर्व अग्रिम में अपने ग्लोबल ईएमडी बैलेट में ऑनलाईन पद्धति का प्रयोग करते हुए ईएमडी राशि अंतरित करना होगा। यदि ईएमडी राशि ग्लोबल ईएमडी बैलेट में उपलब्ध नहीं होता है तो सिस्टम में बोली की अनुमति नहीं दी जायेगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जाँच तथा बैलेट में ईएमडी का अंतरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में किया जायेगा। बोलीदाता एक या सभी सम्पत्तियों के लिए अपनी बोली दे सकते हैं। उनके बैलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता नीलामी की तिथि को बोली करने के लिए योग्य होंगे। बोलीदाता के ग्लोबल बैलेट में बोली के समय में पर्याप्त शेष (>= ईएमडी राशि) होनी चाहिए। सबसे अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्तावों के मामले में बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ईएमडी जमा करना होगा। (2) उपरोक्त धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) राशि का भुगतान बोलीदाता के ग्लोबल ईएमडी बैलेट में एनईएफटी/अंतरण (**https://www.mstcecommerce.com**) से चालान निर्माण के बाद ऑनलाईन किया जायेगा। एनईएफटी अंतरण किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ही किया जा सकता है। चेक जैसे किसी अन्य पद्धति से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपने बैलेंस में वांछित ईएमडी का भुगतान नहीं करने वाले बोलीदाताओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी। (3) ई-नीलामी के लिये प्लेटफार्म (**https://www.mstcecommerce.com**) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकता-700020, इच्छुक बोलीदाता क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इस सेवा प्रदाता द्वारा पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाईन डेमोनस्टेशन/प्रशिक्षण भी दी जायेगी। बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तो से शामिल बिक्री सूचना बैंक की वेबसाईट्स/ वेबपेज पोर्टलः **https://www.centralbankofindia.co.in, https://ibapi.in** तथा **https://www.mstcecommerce.com** पर भी उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक भागीदार बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तो, ई-नीलामी से सम्बन्धित ई-नीलामी के प्रचालनात्मक भाग पर हेल्प मैन्युअल की प्रतियाँ e – bक्रय IBAPI पोर्टल (**https://ibapi.in**) से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते है। (4) जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर या उसके ऊपर होगी तथा ई-नीलामी के दौरान बोलीदाता को कोट की गई अंतिम बोली से ऊपर तथा अधिक तथा बोलीदाता की अंतिम उच्च बोली के लिए ऊपर तालिका में दी गई बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि द्वारा इंटरसे बिडिंग में उच्च बोली के प्रस्ताव की अनुमति होगी। सम्पत्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य से नीचे कोट की गई बोली निरस्त कर दी जायेगी। बोलीदाता सार्वजनिक बिक्री सूचना / बिक्री के नियमों एवं शर्तो में निर्दिष्ट राशि के गुणकों में अपनी बोली में वृद्धि कर सकते हैं। अंतिम दस मिनटों में बोली की प्राप्ति के मामले में 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जायेगा। सम्सेसिव उच्च बोली कोट करने के लिए बोलीदाता को दस मिनटों का समय दिया जायेगा तथा यदि दस मिनटों की समाप्ति के बाद किसी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ई-नीलामी बंद कर दी जायेगी। (5) ईच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तो, ई-नीलामी के प्रचालनात्मक भाग पर सहायता मैन्युअल का उपयुक्त रूप से अध्ययन कर लें तथा पूरी तरह से उसका पालन करें। (6) किसी प्रकार की कठिनाई अथवा ई-नीलामी प्रक्रिया से पूर्व अथवा उसके दौरान यदि किसी सहायता की जरूरत हो तो वे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता (**https://www.mstcecommerce.com**) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करें जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। (7) प्रधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी के निर्धारण के बाद केवल सफल बोलीदाता को ही हमारे ऊपर वर्णित सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल द्वारा (उनके द्वारा दी गई /सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत मोबाइल नं./ई-मेल पते पर) इसकी सूचना दी जायेगी। (8) सफल बोलीलदाता को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा खाता नं. **3498860922**, आईएफएससी-**CBIN0280288** में जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर 25% (पच्चीस प्रतिशत) बोली राशि का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। निर्धारित समय में उपरोक्त राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा प्राधिकृत अधिकारी नई नीलामी / सम्पत्ति की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा चूक करने वाले क्रेता का जब्त की गई राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। (9) भुगतान में चूकः उसी दिन अथवा उपरोक्त रूप में अगले कार्यदिवस तक 25% बोली राशि (ईएमडी को बताकर) एवं/अथवा निर्धारित समय में शेष 75% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर बिड किसी सूचना के बोली स्वतः रद्द हो जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी तथा अन्य कोई राशि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी। (10) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री राशि का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-आईए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता को शेष 75% बोली राशि के भुगतान के समय में ही टीडीएस का भुगतान करना होगा। (11) सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी नियमों के अनुसार बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेंगे। क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र, पंजीकरण शुल्कों, सरकार/किसी अन्य प्राधिकरण को देय सभी सांविधिक देयताओं, करों, जीएसटी तथा रेस्ट्रस, सम्पत्तियों से संबंधित वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए सहित सटॉम्प शुल्कों का वहन करना होगा। (12) बिक्री प्रमाणपत्र में बोली में वर्णित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नामों को शामिल /सब्स्टीट्यूट करने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही जारी की जायेगी। (13) बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरूद्ध डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य कोर्ट द्वारा पारित किसी स्थगन/इंजक्शन/प्रतिबंध के प्रचालन लम्बित रहने के दौरान बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं की जायेगी। आगे, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र का निष्पादन लम्बित रहने के दौरान सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि गैर-ब्याज वाली जमा खाता में रखी जायेगी। बिक्री के आंशिक अथवा सम्पूर्ण/निरसन की स्थिति में जमा की गई राशि की वापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही की स्थगन की स्थिति में नीलामी को डेफर्ड या निरस्त कर दी जायेगी तथा बिक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों का इस निलम्बन अथवा निरसन के लिये क्षतियों, क्षतिपूर्ति, अथवा लागत के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। (14) प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा यदि पूर्व के बोलीदाता निष्पादन करने में विफल होते हैं तो निष्पादन करने के लिए अगले उच्च बोलीदाता को आमंत्रित करने सहित बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित /निलम्बित / रद्द करने / बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तो में संशोधन करने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है। (15) इच्छुक क्रेता अपने स्वयं के खर्चे पर उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंक में उपलब्ध टाईटल दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता **20.04.2021** से पूर्व कार्यावधि के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सम्पर्क कर सकते हैं। (16) सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर की जा रही है तथा इच्छुक क्रेता अधिकारों तथा बिक्री कर आबकारी/जीएसटी / आयकर विभाग तथा बैंक के प्रभारों जैसे किसी अन्य प्राधिकरण के अधिभारों तथा दावे/अधिकारों/देयताओं/प्रभारों के विषय में सम्बन्धित रजिस्ट्रार/एसआरओ/राजस्व अभिलेखों/अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरणों से अपने स्वयं के हित में स्वतंत्र पूछताछ एवं जाँच कर लें तथा अपनी बोली जब्त करने से पूर्व सम्पत्ति पर टाईटल के प्रकार, विवरण, विस्तार, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति, अधिभार, लिएन, चार्ज, सांविधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है तथा उसे ऐसा करता हुआ नहीं माना जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत क्रेडिटर किसी भी रूप में किसी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकारों/उपरोक्त को छोड़कर (यदि कोई हो) देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। ऑनलाईन बोली जमा करने के बाद किसी के लिये रखी गई सम्पत्ति पर चार्जेज/अधिभारों अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य विषयों आदि से सम्बन्धित किसी भी दावे पर विचार नहीं की जायेगी। (17) यह बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में कोई भी अनुमति/लाईसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने अथवा किसी भी बकाये जैसे जल/ सेवा प्रभारों, चार्जेज, अंतरण शुल्कों, बिजली के बकायों, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण / को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी अथवा किसी अन्य देयताओं, करों, लेबीज, शुल्कों, उक्त सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्धित अंतरण शुल्कों, यदि कोई हो, जैसी किसी भी देयताओं के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। (18) यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। (19) यह बिक्री सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में निर्दिष्ट नियमों/शर्तो/प्रावधानों तथा उपरोक्त शर्तो के अधीन होगा। आगे विवरणों, यदि कोई हो, के लिये संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।